



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28042025-262745
CG-DL-E-28042025-262745

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 229]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 28, 2025/वैशाख 8, 1947

No. 229]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 28, 2025/VAISAKHA 8, 1947

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2025

सं. 24/2025-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 268(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप धारा (1) और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमाशुल्क, जिसे सा.का.नि. संख्या 785 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, तालिका के अनुलग्नक में, सूची 34 क एवं सूची 34 ख, और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित सूचियां एवं प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“ सूची 34क (तालिका का क्रमांक 359क देखें) - 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी और 31 मार्च, 2026 तक वैध है :

1. एक्सिस बैंक लिमिटेड
2. बैंक ऑफ इंडिया

3. फेडरल बैंक लिमिटेड
4. एचडीएफसी बैंक लिमिटेड
5. इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड
6. आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड
7. इंडसइंड बैंक लिमिटेड
8. कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड
9. करूर वैश्य बैंक लिमिटेड
10. पंजाब नेशनल बैंक
11. आरबीएल बैंक लिमिटेड
12. भारतीय स्टेट बैंक
13. यस बैंक लिमिटेड

सूची 34ख (तालिका का क्रमांक 359क देखें) - 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी और 31 मार्च, 2026 तक वैध है :

1. इंडियन ओवरसीज बैंक
2. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया।

[फा. सं. 190354/35/2023-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

टिप्पणी: - मूल अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 को सा.का.नि. 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 23/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 04 अप्रैल, 2024, को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में सा.का.नि. 218(अ) द्वारा दिनांक 04 अप्रैल, 2024 को संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 2025

No. 24/2025-Customs

G.S.R. 268(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (12) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 50/2017- Customs, published in the Gazette of India , Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R 785 (E), dated the 30th June 2017, namely:-

In the said notification, in the Annexure to the Table, for List 34A and List 34B, and the entries relating thereto, the following Lists and entries shall respectively be substituted, namely:-

“ List 34A (See S. No. 359A of the Table) – with effect from 1st April, 2025 and valid upto 31st March, 2026:

1. Axis Bank Limited
2. Bank of India
3. Federal Bank Limited
4. HDFC Bank Limited
5. Industrial and Commercial Bank of China Limited
6. ICICI Bank Limited
7. IndusInd Bank Limited
8. Kotak Mahindra Bank Limited
9. Karur Vysya Bank Limited
10. Punjab National Bank
11. RBL Bank Limited
12. State Bank of India
13. Yes Bank Limited

List 34B (See S. No. 359A of the Table)- with effect from 1st April, 2025 and valid upto 31st March, 2026 :

1. Indian Overseas Bank
2. Union Bank of India.”.

[F. No. 190354/35/2023-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note: -The principal notification No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017 and last amended *vide* notification No. 23/2025-Customs, dated the 4th April, 2025 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 218(E), dated the 4th April, 2025.